न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सांभर लेक

ासीन अधिकारी : श्री प्रभुदयाल शर्मा आर0ए0एस0
सं0 26/18
य दिनांक: 16.05.2018

1. दुर्गा पत्नि सुजा उर्फ सुज्या जाति मीना नि0 मीणों का मोहल्ला प्रतापपुरा जोरपुरा तह0 फुलेरा जिला जयपुर राज0

वादी

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार तह0 फुलेरा मु0 सांभरलेक
2. बद्री पुत्र स्व0 गोरधन जाति मीना नि0 मीणों का मोहल्ला प्रतापपुरा जोरपुरा तह0 फुलेरा जिला जयपुर राज0
3. सुजा उर्फ सुज्या पुत्र कालू जाति मीना नि0 मीणों का मोहल्ला प्रतापपुरा जोरपुरा तह0 फुलेरा जिला जयपुर राज0

प्रतिवादीगण

वाद बाबत घोषणा खातेदारी एंव दुरूस्ती इन्द्राज

निर्णय

संक्षेप में वाकयात इस प्रकार से हैं कि वादीया व प्रतिवादी सं0 2 की युक्त कब्जें काश्त व खातेदारी की आराजी खातासं0 65 की आराजी खं0नं0 339 कबा 2 बीघा 15 विस्वा, खं0नं0 453/332 रकबा 14 विस्वा, खं0नं0 455/344 कबा 3 बीघा 13 विस्वा किता 3 कुल रकबा 7 बीघा 2 विस्वा वाकै ग्राम प्रतापपुरा 0 फुलेरा जिला जयपुर राज0 मे स्थित है जिसमें वादीया का 1/12 हिस्सा है। ी प्रकार खाता सं0 100 की आराजी खं0नं0 317 रकबा 1 विस्वा, खं0नं0 340 कबा 1 बीघा 17 विस्वा, खं0नं0 450/332 रकबा 1 विस्वा, खं0नं0 451/339 कबा 1 विस्वा, खं0नं0 452/345 रकबा 1 विस्वा, खं0नं0 454/332 रकबा 1 स्वा किता 6 कुल रकबा 2 बीघा 2 विस्वा वाकै ग्राम प्रतापपुरा तह0 फुलेरा जिला यपुर राज0 में स्थित है जिसमें वादी 1/4 हिस्सा है जो कि वर्तमान में वादीया ा खातेदारी दुर्गा पत्नि विलायत के नाम से अंकित की हुई है वादीया का पति लायत के पिता गोरधन थे जो कि बींजा के जांयदा पुत्र थे तथा बींजा के गोरधन कालू दो पुत्र हुये थे। वादीया की शादी विलायत पुत्र गोरधन के साथ हुयी थी र वादीया अपने पति विलायत के साथ दाम्पत्य जीवन का निर्वहन कर रही थी ी दौरान विलायत की आकस्मिक मृत्यु दिनांक 30.10.1980 को हो गई थी लायत से वादीया के कोई संतान भी उत्पन्न नहीं हुई थी तथा उपरोक्त राजीयात जो कि मृतक विलायत के हिस्सें में दर्ज थी उसका फौती नामान्तकरण सकी पत्नि वादीया के नाम खोला गया। वादीया के पति की मृत्यु वादीया की

धकारी
क

Scanned by CamScanner

कम उम्र में हो गयी थी जिसके कारण वादीया ने अपने भविष्य को देखते हुये सुज्या उर्फ सुजा जो कि परिवार में वादीया के पति का भाई लगता था तथा सुज्या उर्फ सुजा अविवाहित था ओर वादीया जाति से मीना होने से अपनी जाति प्रथा के अनुसार वादीया ने सुज्या उर्फ सुजा की चूड़ी पहनकर अपना पति मान लिया। जिसके कारण वादीया सुज्या उर्फ सुजा के साथ साथ रहकर अपना जीवन बसर करने लग गये ओर आज भी सुज्या उर्फ सुजा के साथ वादीया पत्नि के रूप मे रह रही है ओर मृतक विलायत की आराजीयात पर दोनों ही मिलकर काश्त करते आ रहे है। वादीया ने सुजा उर्फ सूज्या की चुड़ी पहनने के पश्चात् उसके साथ ही दाम्पत्य जीवन का निर्वहन करने लगी जिसके कारण वादीया के आधार कार्ड व परिचय पत्र व अन्य कागजात में भी वादीया के पति का नाम विलायत की जगह सुजा उर्फ सूज्या ही दर्ज किया हुआ है लेकिन वादीया की उपरोक्त खातेदारी की आराजीयात में उसके पूर्व पति विलायत का नाम राजस्व रिकोर्ड में दर्ज किया हुआ है जिसके कारण वादीया को अपने हिस्सें की उपरोक्त आराजीयात को उन्नत व विकसित करने के लिए बैंक व अन्य संस्था से ऋण इत्यादि लेने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वादीया एक ग्रामीण परिवेश की महिला होने से पूर्व में विलायत पुत्र गोरधन का फौती नामान्तकरण खुलवाते समय वादीया को इस सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं थी जिसके कारण नाम की दुरूस्ती नहीं करवा पायी लेकिन वादीया ने वर्तमान में जब अपनी भूमि को उन्नत व विकसित करवानें के लिए बैंक स ऋण प्राप्त करना चाहा तो वादीया को अपने पति का नाम सूजा उर्फ सुज्या की जगह विलायत होने की जानकारी हुई तब वादीया दिनांक 16.01.18 को पटवारी हल्का व तहसीलदार फुलेरा के समक्ष जाकर अपनी उपरोक्त खातेदारी की भूमि मे अपने पूर्व पति विलायत की जगह वर्तमान पति सूजा उर्फ सूज्या नाम दर्ज किये जाने का निवेदन किया जिस पर प्रतिवादी सं0 1 तहसीलदार ने वादीया को न्यायालय में चाराजोरी करने की सलाह दी इसलिए यह वाद बाबत् घोषणा खातेदारी व दुरूस्ती इन्द्राज प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है।

उक्त वाद पेश होने पर दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी सं0 2 की ओर से वकील श्री दिव्यराज वीर ने वकालतनामा पेश किया। पत्रावली राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार 2018 अटल सेवा केन्द्र जोरपुरा जोबनेर में पेश हुयी। प्रतिवादी सं0 2 की ओर से वकील श्री भींवाराम कुमावत ने वकालतनामा पेश किया तथा प्रतिवादी सं0 2व 3 की ओर से जवाब पेश किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी सं0 1 की ओर से जवाब पेश किया गया।

वकील वादीया ने अपने वाद के समर्थन में प्रमाणित प्रति जमाबन्दी खाता सं0 65 व 100, नक्शा ट्रेस, विलायत पुत्र गोरधन का मृत्यु प्रमाण पत्र, वादी के आधार कार्ड की प्रति पेश की है।

ण्ड अधिकारी
जोबनेर

Scanned by CamScanner

गम सब मे हो गयी थी जिसके कारण वादीया ने अपने भविष्य को देखते हुये सुज्या उर्फ सुजा जो कि परिवार में वादीया के पति का भाई लगता था तथा सुज्या उर्फ सुजा अविवाहित था और वादीया जाति से मीना होने से अपनी जाति प्रथा के अनुसार वादीया ने सुज्या उर्फ सुजा की चूड़ी पहनकर अपना पति मान लिया। जिसके कारण वादीया सुज्या उर्फ सुजा के साथ साथ रहकर अपना जीवन बसर करने लग गये और आज भी सुज्या उर्फ सुजा के साथ वादीया पत्नि के रूप मे रह रही है और मृतक विलायत की आराजीयात पर दोनों ही मिलकर काश्त करते आ रहे है। वादीया ने सुजा उर्फ सूज्या की चुड़ी पहनने के पश्चात् उसके साथ ही दामपत्य जीवन का निर्वहन करने लगी जिसके कारण वादीया के आधार कार्ड व परिचय पत्र व अन्य कागजात में भी वादीया के पति का नाम विलायत की जगह सुजा उर्फ सूज्या ही दर्ज किया हुआ है लेकिन वादीया की उपरोक्त खातेदारी की आराजीयात में उसके पूर्व पति विलायत का नाम राजस्व रिकोर्ड में दर्ज किया हुआ है जिसके कारण वादीया को अपने हिस्सें की उपरोक्त आराजीयात को उन्नत व विकसित करने के लिए बैंक व अन्य संस्था से ऋण इत्यादि लेने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वादीया एक ग्रामीण परिवेश की महिला होने से पूर्व में विलायत पुत्र गोरधन का फौती नामान्तकरण खुलवाते समय वादीया को इस सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं थी जिसके कारण नाम की दुरूस्ती नहीं करवा पायी लेकिन वादीया ने वर्तमान में जब अपनी भूमि को उन्नत व विकसित करवानें के लिए बैंक स ऋण प्राप्त करना चाहा तो वादीया को अपने पति का नाम सूजा उर्फ सुज्या की जगह विलायत होने की जानकारी हुई तब वादीया दिनांक 16.01.18 को पटवारी हल्का व तहसीलदार फुलेरा के समक्ष जाकर अपनी उपरोक्त खातेदारी की भूमि मे अपने पूर्व पति विलायत की जगह वर्तमान पति सूजा उर्फ सूज्या नाम दर्ज किये जाने का निवेदन किया जिस पर प्रतिवादी सं0 1 तहसीलदार ने वादीया को न्यायालय में चाराजोरी करने की सलाह दी इसलिए यह वाद बाबत् घोषणा खातेदारी व दुरूस्ती इन्द्राज प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है।

उक्त वाद पेश होने पर दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी सं0 2 की ओर से वकील श्री दिव्यराज वीर ने वकालतनामा पेश किया। पत्रावली राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार 2018 अटल सेवा केन्द्र जोरपुरा जोबनेर में पेश हुयी। प्रतिवादी सं0 2 की ओर से वकील श्री भींवाराम कुमावत ने वकालतनामा पेश किया तथा प्रतिवादी सं0 2व 3 की ओर से जवाब पेश किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी सं0 1 की ओर से जवाब पेश किया गया।

वकील वादीया ने अपने वाद के समर्थन में प्रमाणित प्रति जमाबन्दी खाता सं0 65 व 100, नक्शा ट्रैस, विलायत पुत्र गोरधन का मृत्यु प्रमाण पत्र, वादी के आधार कार्ड की प्रति पेश की है।

अधिकारी

Scanned by CamScanner

वकील वादी ने वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया जिस पर पत्रावली व प्रतिवादी सं0 1 तहसीलदार फुलेरा के जवाब का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया अवलोकन करने के बाद वादी का वाद तहसीलदार फुलेरा के जवाब के आधार पर खारिज किया जाना न्यायोचित समझता हूँ।

क्रियात्मक आदेश

अतः वादीया का वाद तहसीलदार फुलेरा के जवाब के आधार पर खारिज किया जाता है। निर्णय अनुसार डिक्री पर्चा तैयार कर शामिल किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो दर्ज नम्बर से कम हो।

आदेश आज दिनांक 16.05.2018 को खुले राजस्व लोक अदालत केम्प जोरपुरा जोबनेर मे टंकण कराया जाकर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सांभर लेक
उपखण्ड अधिकारी
सांभर लेक

Scanned by CamScanner